

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खोरीमहुआ (गिरिडीह)।

विविध वाद संख्या-272/2003-04

त्रिभुन सिंह बनाम झेनी लोहार

आदेश की
तिथि

आदेश

आदेश पर की
गई कार्रवाई

16/10/2025

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष की ओर से हाजरी दाखिल की गई। उभय पक्ष की ओर से एक संयुक्त सुलहनामा दाखिल किया गया साथ ही द्वितीय पक्ष की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर आपसी सुलह की बात स्वीकार किया गया। उभय पक्ष अपने-अपने विद्वान अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए जिन्हें न्यायालय द्वारा सुलह किये जाने की बात पुछा गया जिसे उभय पक्षों ने स्वीकार किया। कहा गया कि इस संयुक्त सुलहनामों पर हम सब दोनों पक्षों का हस्ताक्षर है। वे आगे वाद नहीं लड़ना चाहते हैं। इस प्रकार वाद को समाप्त करने का आग्रह किया गया।

सुना। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल सुलहनामा तथा उसपर उनकी सहमति के आधार पर इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

वाद की आगे की आग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

16/10/2025
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खोरीमहुआ।

16/10/2025
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खोरीमहुआ।